

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प.17(3)नवि/नियम/2022

जयपुर, दिनांक: 29 SEP 2023

अधिसूचना

उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 28) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा, तत्काल प्रभाव से एक प्राधिकरण की स्थापना करती है जो उदयपुर विकास प्राधिकरण कहलायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

संचिता बिश्नोई,

संयुक्त शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
6. आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
7. सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 13, गुरुवार, शाके 1945-अक्टूबर 05, 2023  
Asvina 13, Thursday, Saka 1945- October 05, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2023

संख्या प.17(3)नविवि/नियम/2022 :-उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 28) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा, तत्काल प्रभाव से एक प्राधिकरण की स्थापना करती है जो उदयपुर विकास प्राधिकरण कहलायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

संचिता बिश्नोई,

संयुक्त शासन सचिव।

76

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।